3.2.25 | पत्रावली पेश SDO साहब ...
उभय पक्ष उप० ... 10.3.25

10.3.25 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष उपस्थित होकर बहस सुनाई गई मे उभय पक्ष उपस्थित होकर बहस सुनाई गई वास्ते आदेश मे दिनांक 15.4.25 को पेश पत्रावली वास्ते आदेश पेश हो।

15.4.25 | पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई, प्रकरण मे वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा बाण्डा प-ह-सामरिया केला की आराजी स-210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, कुल किता-10 कुल रकबा 4.4900 हैं० भूमि कृषि आराजीयात मे प्रार्थी के पिता छोगा जी की मृत्यु पश्चात विरासत से खोले गये नामान्तरण मे प्रार्थी का नाम भोजा अंकित कर दिया गया जो लिपिकीय त्रुटी है। जिसे राजस्व रिकार्ड मे सुधारा जाकर भोजा उर्फ भोजराज पिता छोगा दर्ज किया जावे। पैरोकार तहसीलदार बेगू ने अपनी जवाबी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि ग्राम बाण्डा की जमाबन्दी 2046-49 मे भोजा के बजाय लिपिकीय त्रुटीवश भोजा पिता छोगा के बजाय भोला पिता छोगा अंकित कर दिया गया जिसे नाम शुद्ध किया जावे। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को सुना जाने के पश्चात प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, खाता स-104 की नकल जमाबंन्दी सम्वत 2078-78 नकल राशन कार्ड छाया प्रति मे भोजा पिता छोगा नाम दर्ज अंकित है। इन सभी दस्तावेजव तहसीलदार बेगू के जवाब प्रा-पत्र के अनुसार प्रा-पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अत: प्रार्थी का प्रा-पत्र अ-धा-136 L.R.A का स्वीकार किया जाता है, मौजा बाण्डा प-ह-सामरिया केला की आराजी स-210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 कुल किता 10 कुल रकबा 4.4900 हैं० भूमि की कृषि आराजीयात मे राजस्व रिकार्ड मे भोला पिता छोगा के स्थान पर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
भोजा उर्फ भोजराज पिता छोगा अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।